(नियम—26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बजरंगलाल बनाम रामेश्वर वगै.

किस्म प्रकरण : वाद

मुकदमा नं.– 34/2018

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
30/6/24	पत्रावली पेश। P.D. रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इन्तजार होकर मिसल दिनांक: 16/7/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
16/7/24	पत्रावली पेश। आज रीडर की अनुपस्थिति में मिसल दिनांक: 04/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
04/8/24	पत्रावली पेश। P.D. रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसपर वकील को सुना गया। वकील ने प्रारंभिक डिक्री प्रस्तावानुसार वाद की डिक्री (अंतिम) किए जाने का निवेदन किया। वकील को सुना गया/ चूंकि पक्षकारान ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। अतः वादीगण का वाद प्रारंभिक P.D. प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० हो। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	(हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

क्रमांक / भू०अ० / प्राथमिक डिक्री / 2021 / 3001 दिनांक 4-8-2021

प्रेषिति :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 34/2018 अनुवान बजरंगलाल बनाम रामेश्वरी वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-7-2021 को तैयार कर लिया गया है, तथा इस कार्यालय में जमा हुआ, इस पत्र के संलग्न रा.वा.सं. 34/2018 का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में आगामी उचित कार्यवाही बाबत श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

संलग्न :- रा.वा.सं. 34/2018 में जारी प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में।

मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री (1)

मैं शक्तिसिंह नायब तहसीलदार डेह श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर जायल के आदेश क्रमांक /रीडर/कोर्ट/2021/369 दिनांक 29/07/2021 राजस्व वाद संख्या 34/2018 अनुकरण बजरंगलाल बनाम रामेश्वरी वगैरह में प्राथमिक डिक्री एवं श्रीमान तहसीलदार साहब नागौर के आदेश क्रमांक /भू०अ/ प्राथमिक डिक्री/2021/ 2603 दिनांक 8-07-2021 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 30/7/2021 को वाके ग्राम ऐवाद पर भू०अ० निरीक्षक मांजवास एवं हल्का पटवारी सोनेली के साथ मौके पर पहुंचा। न्यायालय सहायक कलेक्टर (एसडीओ) जायल में विचाराधीन प्रकरण सं 34/2018 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी किये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गई। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित है।

क्रम सं.	नाम मय वल्दियत	उम्र	जाति	वादी/प्रतिवादी
01	बजरंगलाल पुत्र कुरजाराम जाति जाट	65वर्ष	जाट	प्रतिवादी
02	रामेश्वरी पत्नि रामलाल जाट	72वर्ष	जाट	प्रतिवादी
03	दीनाराम पुत्र रामलाल जाति जाट	36वर्ष	जाट	

उक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

क्र.सं.	नाम ग्राम	हिस्सेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा	रकबा मैं हे.	स्थिति
01	ऐवाद	बजरंगलाल पुत्र कुरजाराम जाट के हिस्से में	136	9-7529 हे.	→ सम्पूर्ण हिस्सा
			137	2-8409 हे.	→ दक्षिणी भाग [illegible]
			513	3-6422 हे.	→ सम्पूर्ण हि०
			579	2-2015 हे.	→ दक्षिणी भाग नक्शा अनुसार
			618	0-1359 हे.	→ दक्षिणी भाग नक्शा अनुसार
			618	0-0260 हे.	→ नक्शा अनुसार उत्तरी पूर्वी हि० नक्शा अनुसार
कुल			कुल खसरा/05	18-5994 हे.	

[signature] 30.7.21 N.T. deh [signature] 142 मांजवास

क्र.सं.	नाम ग्राम	हिस्सेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा	रकबा है०	
02	ऐचेर	रामेश्वरी पत्नि रामलाल 1/2 हि० दीनाराम पुत्र रामलाल 1/2 हि० जाट	137	12-5938 है०	उत्तरी
			579	2-2015 है	उत्तरी
			618	0·2509 है	मध्य
			673/129	0-0809 है०	सम्पूर्ण
			423	1-4407 है	पूरा
			493	2-0153 है०	सम्पूर्ण
कुल योग			कुल खसरा 6	18-5831 है०	

मौके पर उपरोक्त अनुसार एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है। अन्य पक्षकारों का कोई कब्जा काश्त नही है। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी अ... विभाजन से सहमत है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौत... के समक्ष बनायी तथा पढ़कर सुनाई गयी। मौके पर उपस्थित पक्ष... ने पढ़ सुन एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये गये।

क्र.सं.	नाम मय वल्दियत	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	बजरंगलाल पुत्र सुरजाराम	जाट	बजरंगलाल	प्रार्थी
02	रामेश्वरी पत्नि रामलाल	जाट	(अंगूठा निशानी)	अप्रार्थी
03	दीनाराम पुत्र रामलाल	जाट	दीनाराम	अप्रार्थी

अन्य उपस्थित मौतबिरानों को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई एवं हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार आज दिनांक 30/7/2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

खसरा नं. 618 में शुद्धि/संशोधन हमारी सहमति से की गई।

मोहनलाल

1/2 मोतबिरान

बजरंगलाल

दीनाराम

30.7.21

N.T.

मोहनराम

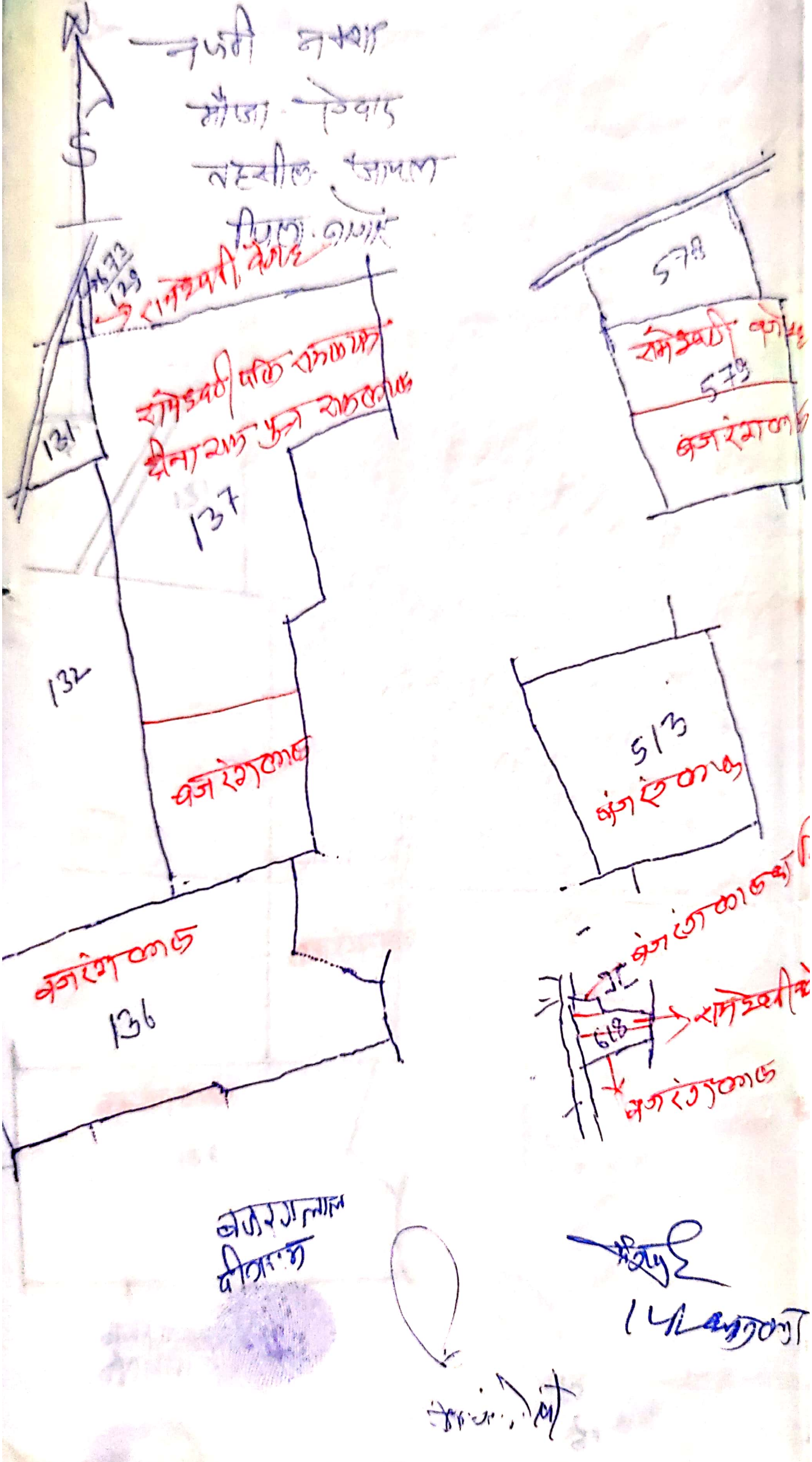

Scanned with CamScanner

नजरी नक्शा ऐवाद पटवार मण्डल - दोनेली

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नापासर के आदेश क्रमांक/रीडर/कोर्ट/2021/369 दिनांक 29/06/2021 राजस्व वाद संख्या 34/2018 अनुवान बजरंगलाल बनाम रामेश्वरी वगैरह में ग्रामगिर नजरी नक्शा हेतु डिग्री जावना भिजवाने बाबत।

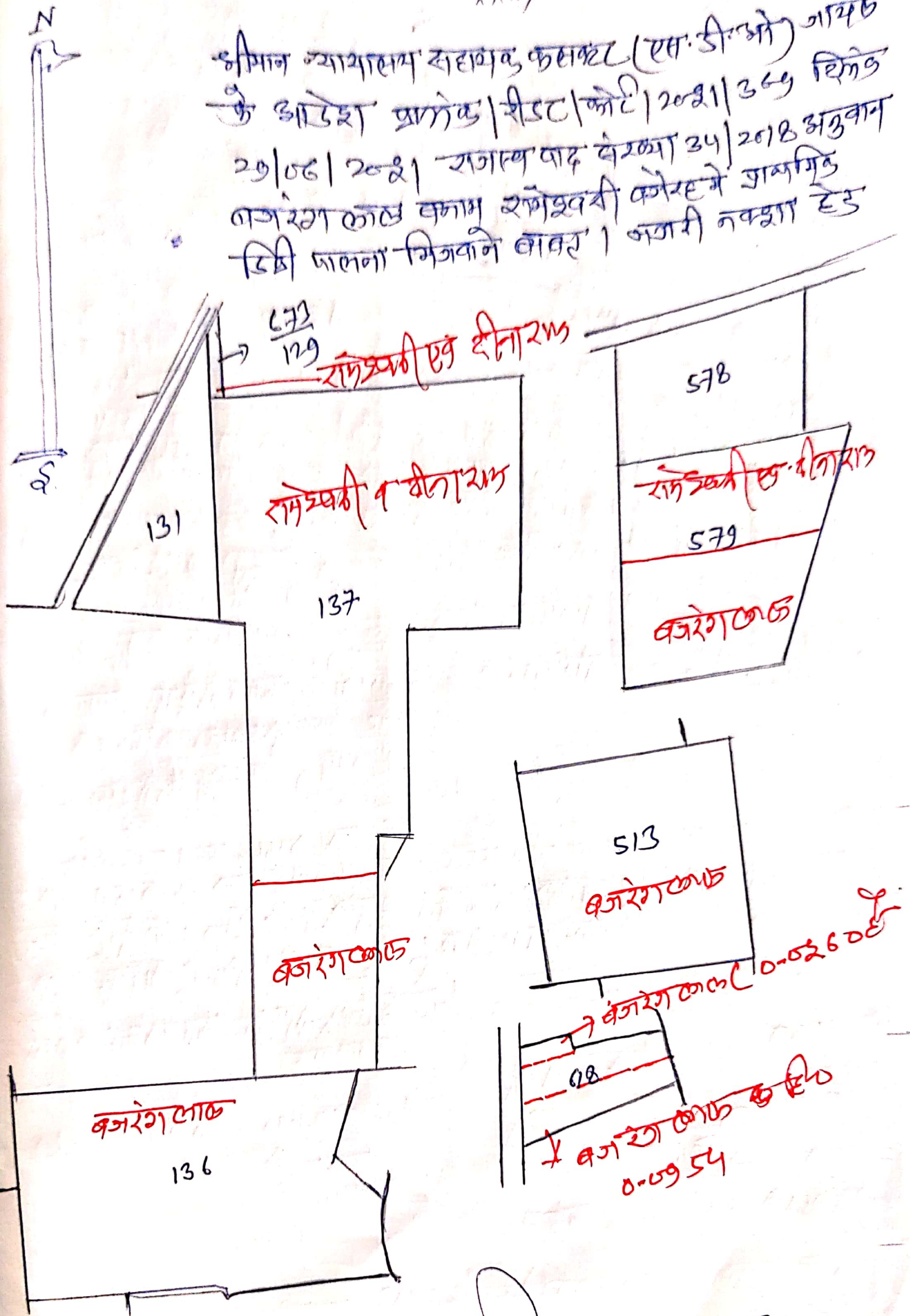

बजरंगलाल
दीनाराम

ह. प. दोनेली
12 L मौजाणा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :34/2018

वादीगण–

1. बजरंगलाल पुत्र सुरजाराम
   जाति–जाट निवासी–ऐवाद,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामेश्वरी पत्नी रामलाल
2. दीनाराम पुत्र रामलाल
   जाति–जाट निवासी–ऐवाद,तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता वादी
2. श्री अम्बालाल पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय दिनांक : 05/8/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा ऐवाद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 136 रकबा 60.05 बीघा, खसरा नं. 673/129 रकबा 0.10 बीघा , खेत खसरा नं. 137 रकबा 95.07 बीघा व खसरा नं. 423 रकबा 8.18 बीघा,खसरा नंबर, 493 रकबा 12.09 बीघा, खसरा नंबर 513 रकबा 22.10 बीघा, खसरा नंबर 579 रकबा 27.04 बीघा, खसरा नंबर 618 रकबा 2.11 बीघा रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2070 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (1 से 3) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी बजरंगलाल के हक बंट में ग्राम ऐवाद का खेत खसरा नंबर 136 रकबा 60.05 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नंबर 137 रकबा 95.07 बीघा में से 17.11 बीघा दक्षिणी भाग , खसरा नंबर 513 रकबा 22.10 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नंबर 579 रकबा 27.04 बीघा में से 13.12 बीघा दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 618 रकबा 2.11 बीघा में से 0.15 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 आरे 2 कमशः रामेश्वरी एवं दीनाराम के हक बंट में ग्राम ऐवाद का खेत खसरा नंबर 137 रकबा 95.07 बीघा में से 77.16 बीघा उतरी भाग , खसरा नंबर 579 रकबा 27.04 बीघा में से 13.12 बीघा उतरी भाग, खसरा नंबर 618 रकबा 2.11 बीघा में से 1.09 बीघा मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 673/129 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नंबर 423 रकबा 8.18 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नंबर 493 रकबा 12.09 बीघा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

05/8/2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

सम्पूर्ण रखा गया है। खसरा नंबर 137 के पश्चिमी भाग में 12 फीट का रास्ता बजरंगलाल के बंट के खेत तक जाता है रास्ता कायम रहेगा जो वादपत्र का अभिन्न भाग माना जायेगा। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 04.03.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाराशर ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री अम्बालाल पाराशर ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह बजरंगलाल पुत्र सुरजाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम ऐवाद तहसील–जायल सम्वत् 2072–2075 खाता संख्या 402 प्रदर्श–1 नकल, भू–प्रबंध विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स के नियम 26 के अन्तर्गत खतौनी जमाबंदी, जमाबंदी खतोनी सम्वत् 2024–2026 खाता संख्या 168, खतौनी जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 खाता संख्या 229 , खतौनी जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 खाता संख्या 55 प्रदर्श किये गए। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामावाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 04.03.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है जो किये गये है। इसी प्रकार प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 04.03.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में संयोजित पक्षकार मौजा ऐवाद के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित है। जो अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 136,513,673/129,423,493 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरान् 137,579,618 का माफिक राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 137,579,618 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 16.06.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 16.06.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3001 दिनांक 04.08.2021 प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी बजरंगलाल,रामेश्वरी,दीनाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि अन्य उपस्थित मौतबिरान को पढकर सुनाई गई। अतः मौजा ऐवाद तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 136, 137, 513, 579, 618, 673/129, 423, 493 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा ऐवाद तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 136,137,513,579,618,673/129,423,493 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3001 दिनांक 04.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

1. वादी बजरंगलाल के हक बंट में ग्राम ऐवाद का खेत खसरा नंबर 136 रकबा 9.7529 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 137 रकबा 15.4347 हैक्टेयर में से 2.8409 हैक्टेयर दक्षिणी भाग , खसरा नंबर 513 रकबा 3.6422 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 579 रकबा 4.4030 हैक्टेयर में से 2.2015 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 618 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में से 0.1359 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार दक्षिणी भाग व इसी खसरे में से 0.0260 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

2. प्रतिवादी संख्या 1 आरे 2 कमशः रामेश्वरी एवं दीनाराम के संयुक्त हक बंट में ग्राम ऐवाद का खेत खसरा नंबर 137 रकबा 15.4347 हैक्टेयर में से 12.5938 हैक्टेयर उत्तरी भाग ,खसरा नंबर 579 रकबा 4.4030 हैक्टेयर में से 2.2015 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नंबर 618 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में से 0.2509 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 673/129 रकबा 0.0809 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 423 रकबा 1.4407 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 493 रकबा 2.0153 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ...05/8/2021... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

05/8/2021
(प्रदीप कुमार)
एस.डी.ओ. जायल
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर * जायल (एस.डी.ओ.)

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या : 34/2018

1. बजरंगलाल पुत्र सुरजाराम, जाति–जाट निवासी–ऐवाद,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामेश्वरी पत्नी रामलाल
2. दीनाराम पुत्र रामलाल, जातियान–जाट निवासी–ऐवाद,तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता वादी
2. श्री अम्बालाल पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिव कुमार पाराशर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री अम्बालाल पाराशर व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादीगण का वाद अधीन धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा ऐवाद तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 136, 137, 513, 579, 618, 673/129, 423, 493 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3001 दिनांक 04.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी बजरंगलाल के हक बंट में ग्राम ऐवाद का खेत खसरा नंबर 136 रकबा 9.7529 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 137 रकबा 15.4347 हैक्टेयर में से 2.8409 हैक्टेयर दक्षिणी भाग , खसरा नंबर 513 रकबा 3.6422 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 579 रकबा 4.4030 हैक्टेयर में से 2.2015 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 618 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में से 0.1359 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार दक्षिणी भाग व इसी खसरे में से 0.0260 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 आरे 2 कमशः रामेश्वरी एवं दीनाराम के संयुक्त हक बंट में ग्राम ऐवाद का खेत खसरा नंबर 137 रकबा 15.4347 हैक्टेयर में से 12.5938 हैक्टेयर उत्तरी भाग ,खसरा नंबर 579 रकबा 4.4030 हैक्टेयर में से 2.2015 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नंबर 618 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में से 0.2509 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार मध्य

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

05/8/2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

भाग माफिक नजरीनवशानुसार, खसरा नंबर 673 / 129 रकबा 0.0809 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 423 रकबा 1.4407 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 493 रकबा 2.0153 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

05/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/8/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

05/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner